व्यय-कर

धारा 3 का संशोधन। **111.** व्यय-कर अधिनियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् व्यय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (1) में, "दो हजार रुपए या अधिक, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "तीन हजार रुपए या अधिक प्रतिदिन" शब्द 1 जून, 2002 से रखे जाएंगे। 1987 का 35

धारा 5 का संशोधन। **112.** व्यय-कर अधिनियम की धारा 5 के खंड (1) में उपखंड (ख) और उपखंड (घ) का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा।